न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :– 19 / 2023

वादी — बनाम — प्रतिवादीगण

वादी		प्रतिवादीगण
1. ठाकराराम पुत्र तलकाराम जाति मेघवाल निवासी रामपूरा तहसील चितलवाना जिला जालोर हाल निवासी गोलिया भाटा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	बनाम	1. ढलाराम पुत्र लूम्भाराम 2. रणछाराम पुत्र लूम्भाराम 3. विरधाराम पुत्र लूम्भाराम जातियान मेघवाल निवासी गोलिया भाटा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 4. तहसीदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री पाबुराम बेनीवाल अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादीगण एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 15.05.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि मौजा– गोलिया भाटा पटवार क्षेत्र जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 915 / 221 रकबा 2.9853 हैक्टेयर के संबध मे प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 30.01.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादी के अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा गोलिया भाटा पटवार क्षेत्र जूना मीठा खेड़ा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 915/221 रकबा 2.9853 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	ठाकराराम पुत्र श्री तलकाराम जाति मेघवाल सा. रामपुरा तह. चित्तलवाना जिला जालौर	915/221	0.4693	बा.दो.	0.08	हरा
2	ढलाराम हि. 75/311 रणछाराम हि. 153/311 विरधाराम हि. 83/311 पि. लूम्भाराम जाति मेघवाल सा. गोलिया भाटा	915/221	2.5160	बा.दो.	0.40	गुलाबी
	योग		2.9853			

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुश्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रुप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना –अपना वहन करें ।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 15.05.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner